[redacted]

FROM :   FAX NO. :0522 2239076   16 Nov. 2017 16:59 P 004

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1
संख्या–सं0वि0क0नि0–1–1733/11–2017–93/2017 टी0सी0
लखनऊ::दिनांक:: 16 नवम्बर, 2017

–:: विज्ञप्ति ::–

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–13/48/85–कार्मिक–1, दिनांक 26–10–1985, शासनादेश संख्या–868/13/6/98– का0–1–2000, दिनांक 23–09–2000 तथा शासनादेश संख्या–3/2017/13(1)/2007/का–1–2017, दिनांक 06–07–2017 के प्राविधानानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड–(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री कौशलेश, डिप्टी कमिश्नर इस आदेश के जारी होने के दिनाँक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेगें तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की नियमानुसार धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगें, जिस दर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

एडी0कमि0
कमिश्नर
16.11.17

संख्या:–सं0वि0क0नि0–1–1733 (1)/11–2017, तद्‌दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
5. श्री कौशलेश, डिप्टी कमिश्नर द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

4480
16-11-17

JC (स्था0)

852
16.11.17

16.11.17

3616
16/11/17

J C (स्था0) 16/11/17

पृ0प0सं0-स्था-1-स्क्रीनिंग- 2017-18- /वाणिज्य कर

3103

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 16 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन सचिवालय, लखनऊ।

2. एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

3- एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

5- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर(कमिश्नर कैम्प) मुख्यालय।

6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।

7- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर जोन फैजाबाद को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की एक प्रति तत्काल श्री कौशलेश, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, सुल्तानपुर को तामील कराकर तामीलीशुदा प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- सम्बन्धित अधिकारी श्री कौशलेश, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, सुल्तानपुर को उपरोक्तानुसार।

9 आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, सुल्तानपुर।

10 सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

11 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग।

12 चरित्र पंजिका पटल।

16/11/17

(बबिता तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।